न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **27 / 2023**

प्रार्थीगण :– 1. भूराराम पुत्र पदमाराम जाति जाट

2. चौखाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी पुनियों का तला तहसील गिड़ा हाल खेमा बाबा नगर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरगीम दुरस्ती बाबत्

अधिवक्तागण :– 1. श्री पूनमाराम चौधरी प्रार्थीगण वकील

2. सरकारी पैरोकार विप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 27.06.2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य है कि सरहद मौजा नवसृजित गांव खेमा बाबा नगर मूल गांव कलावा पटवार क्षेत्र खेड तहसील पचपदरा मे खेत खसरा संख्या न0 616 / 64 रकबा 40 बीघा (6.4720 हैक्टेयर) भूमि किस्म बारानी आई हुई है जो प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की है प्रार्थीगण भूमि के मौके पर काबिज काश्त है । प्रार्थीगण ने प्रार्थना पर मे कथन किया कि मौके पर नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मे वर्णित मार्क ए बी सी डी रकबा 40 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है एवं प्रार्थीगण के कब्जा के अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्टा ट्रेस मे प्रार्थीगण के भूमि की लाल स्याही से तरमीम की जानी थी किंतु राजस्व [illegible] शा मे तरमीम करते वक्त तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण [illegible] मन मर्जी से गलत तौर से प्रार्थीगण के मौके कब्जे के विपरीत नक्शा मे तरमीम [illegible] प्रार्थीगण की भूमि को बता दिया है । अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा संख्या 616 / 64 रकबा 40 बीघा भूमि की मौके पर कब्जे को ध्यान नहीं रखकर नक्शा लट्टा ट्रेस मे जो गलत तरमीम की है । उसे खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:06 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कर पुनः मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे की जांच करवाकर प्रार्थीगण के कब्जे के माफिक नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने का निवेदन किया गया है ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस भिजवाये गये। तहसीलदार पचपदरा को तहरीर जारी की गयी । जिसकी पालना रिपोर्ट कमांक/भू अ/2023/1558 दिनांक 19.05.2023 के प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा ने पालना रिपोर्ट में जाहिर किया की राजस्व रेकर्ड लट्ठा नक्शा मे खसरा संख्या 616/64 रकबा 40.00 बीघा की तरमीम संलग्न परिशिष्ठ ''अ'' अनुसार है जो जमाबंदी मे दर्ज रकबा अनुसार है । प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि जरिए पंजियन दस्तावेज अनुसार सन् 2008 मे कय की जाकर प्रार्थी द्वारा कब्जा किया गया जो आज दिनांक तक मौके पर संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार (हरी स्याही मे दर्शित है । मौके पर उपस्थित पडौसी खातेदारो व मौतबिरागे को भी प्रार्थी का कब्जा पुरानी माठो अनुसार सही बताया गया प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे कब्जा किया जाकर मौके पर कब्जाशुद्व भूमि मे दो टांको का निर्माण किया हुआ पाया । प्रार्थी का कब्जा संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' मे (हरी स्याही से दर्शित) अनुसार है जिसे जिसे मौके पर पडोसी खातेदारो व मौतबिरानो ने सही बताया गया । मौके फर्द उपस्थित मौतबिरानो ने पढकर सुनकर हस्ताक्षर व अगुंठे किए गये है ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई व तहसीलदार पचपदरा की पालना रिपोर्ट व पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरहद मौजा नव[illegible]खेमा बाबा नगर मूल गांव कलावा पटवार क्षेत्र खेड तहसील पचपदरा [illegible] रकबा 40 बीघा भूमि किस्म बारानी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के विपरीत नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन को सुधार कर तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा ब'' मे (हरी स्याही से दर्शित) अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:06 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा ब'' मे (हरी स्याही से दर्शित) अनुसार आदेश के अभिन्न अंग होगा।

(विवेक व्यास)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.6.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:17:06 IST
Reason: SelfAttested